रे. बो. के दिनांक 22.9.95 के पत्र सं. हिंदी-94 रा. भा. 1/15/11 द्वारा जारी

अनुबंध

मुख्य राजभाषा अधिकारियों एवं उपमुख्य राजभाषा अधिकारियों के कर्त्तव्य.

1. मुख्य राजभाषा अधिकारी तीन महीने में एक बार किसी विभाग मंडल/कारखाने/वर्कशॉप/स्टेशन का गहन निरीक्षण करें और तत्संबंधी रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय को भेजें तथा उपमुख्य राजभाषा अधिकारी दो महीनों में एक बार निरीक्षण करें और रिपोर्ट बोर्ड को भेजें.

2. प्रत्येक माह में किसी न किसी विभाग के अधिकारियों की आंतरिक बैठकों में भाग लेकर बोर्ड द्वारा जारी राजभाषा संबंधी आदेशों को कारगर ढंग से लागू कराएं. यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई अथवा सुझाव हो तो उन्हें बोर्ड के विचारार्थ भिजवाएं.

3. मुख्यालय में कार्यरत उपमुख्य राजभाषा अधिकारी मंडलों की राजभाषा कार्यान्वियन समितियों की बैठक में भाग लें तथा मंडलों के उपमुख्य राजभाषा अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वियन समिति की कम से कम दो बैठकों में भाग लें.

4. चूंकि मुख्य राजभाषा अधिकारी/उपमुख्य राजभाषा अधिकारी रेलों पर स्थापित हिंदी विभागों के विभागाध्यक्षों के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उनके द्वारा समय-समय पर हिंदी विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की भी बैठकें बुलाकर मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

5. मुख्यालय के उपमुख्य राजभाषा अधिकारी हिंदी स्टाफ के साथ मासिक बैठकें करें और स्टाफ द्वारा प्रतिमाह किए गए कार्य का लेखा-जोखा लें. जहाँ कमियाँ पाई जाएं, उन्हें दूर करने के प्रयास किए जाएं. ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त भी बनाया जाए.

..........2/-

6. इसी प्रकार मंडलों में भी उपमुख्य राजभाषा अधिकारी हिंदी स्टाफ के काम का लेखा-जोखा करने के लिए मासिक बैठकें करें. ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त बनाया जाए.

7. मुख्य राजभाषा अधिकारी जब मंडल कार्यालयों में अपने निर्धारित काम के लिए जाएं तो वहाँ उपमुख्य राजभाषा अधिकारी सहित हिंदी स्टाफ के साथ बैठकें करें, कार्य का लेखा-जोखा लें और आवश्यक हो तो परिवर्तन को कार्रवाई करें.

PDF Scanner ACE Scanner